

विषय:- न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू० पी० क्रमांक 1062/2016, डॉ. शरद पंडित, जिला-इन्दौर, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बाबत।

R-24/16

डॉ. शरद पंडित, जिला-इन्दौर, ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर, में मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजनांतर्गत हितग्राहियों के भुगतान के संबंध में याचिका क्रमांक 1062/2016, दायर की है। विषयांकित न्यायालयीन प्रकरण, में प्रमुख सचिव एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रकरण धार, जिले से संबंधित है।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 11.04.2016 को नियत है/थी। जिसमें शासन पक्ष की ओर से अतः प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से प्रतिरक्षण किये जाने एवं वादोत्तर समय-सीमा में प्रस्तुत किये जाने हेतु अपर संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय, भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

निर्देशानुसार अनुज्ञेयार्थ एवं हस्ताक्षर प्रस्तुत। तदुपरांत -
प्रभारी अधीक्षक(लीगल) नए विधि विभाग को डीआर कला-चौहेंगे!

DD (Legal) - M.A.

Director (Legal)

विधि विभाग

आपका क्र० 448-49, दि० 15/03/16

14/3/16
संचालक
स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

विषय:-न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू० पी० क्रमांक 1062/2016, डॉ. शरद पंडित,
जिला-इन्दौर, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने
बाबत।

BY REGISTERED POST

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process No: 9584/2016

WP/1062/2016

R-24/16

From

Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Indore

Against Admission and IR
Fixed for 11-04-2016

WP-DA-1

Respondent No. 2

To,

Commissioner, Health Services,
Satpuda Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Indore 11-02-2016

Subject: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/1062/2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Dr. Sharad Pandit** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/1062/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **11-04-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

Your's faithfully

 17.02.16

DEPUTY REGISTRAR



TAFFIXED BY 157016

Ind.



IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE

WRIT PETITION No. 1062/2016

PETITIONER : Dr. Sharad Pandit

Versus

RESPONDENTS : State of M.P. & Others


INDEX

S. No.	Description of Documents	Date	Annexure No. (if any)	Page No. of Documents
1.	Chronology of dates & events			A-A
2.	Writ petition along with affidavit.			1-12
3.	List of Documents			3-13
4.	Copy of the order dated 04/02/2016 passed by the Respondent No. 1.		P/1	14-14
5.	Copy of news item dated 04/02/2016.		P/2	15-15
6.	Copy of order dated 29/09/2014 issued by Social Justice and Disability Welfare Department		P/3	16-18
7.	Copy of order dated 05/11/2014.		P/4	19-23
8.	Copy of order dated 05/03/2015 mentioning the name of sanctioned hospitals for the purpose of scheme.		P/5	24-25
9.	Copy of demand letter issued by Sri Aurobindo Medical College & PG Institute, Indore.		P/6	26-33
10.	Copy of letter dated 07/03/2015.		P/7	34-35
11.	Copy of letter dated 29/09/2015		P/8	36-37
12.	Copy of letter dated 04/12/2015		P/9	38-38
13.	Copy of letter dated 29/01/2016 along with the list of pending beneficiaries.		P/10	39-41
14.	Copy of list of pending beneficiaries.		P/11	42-43
15.	Copy of news item dated 04/02/2016 published in "Nai Dunia".		P/12	44-44
16.	Power			45-45

Indore

Dated: 05/02/2016

Submitted By


Counsel of Petitioner

Abhinav P. Shanolkar

DECLARATION

(Under Rule 25 Chapter X)

The copies, as required by Rule 25 of Chapter X of the High Court of
Madhya Pradesh, 2008 have been served upon STATE OF M.P.
(the person upon whom the copies have been served) at 12:00 PM
(time) on 05/02/2016 (date) in INDORE
(place).



Advocate for the petitioner / appellant

for Abhinav P. Dhanodkar

(A)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE

WRIT PETITION No. 1062/2016

PETITIONER : Dr. Sharad Pandit

Versus


RESPONDENTS : State of M.P. & Others

Chronology of Dates and Events

S. No.	Date	Event
1.	-----	Government of Madhya Pradesh has framed a scheme namely " Mukhyamantri Bal Shraavan Yojna " wherein treatment of the children born with hearing disability (deaf) are provided financial help for their treatment.
2.	-----	The allegation was made against the petitioner that he had returned a case of one girl child resident of Khandwa. It has been alleged that the parents of the girl child had made a complaint to the Chief Minister in "Jan Sunwai" that the petitioner has returned their case arbitrarily.
3.	04/02/2016	A news item was published in daily newspaper "Dainik Bhaskar" with a title " JD Dr. Sharad Pandit suspended by CM ".
4.	04/02/2016	The Chief Minister acting promptly directed the Respondent No. 1 to suspend the petitioner without going into the roots of the matter and without calling any explanation from the petitioner. It is further submitted that in compliance of the oral instruction of the Chief Minister, the Respondent No. 1 has issued the impugned order of suspension making false and baseless allegations.

Indore

Dated: 05/02/2016

Submitted By

Counsel of Petitioner
For Abhinav P. Dhanodkar

①

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE

W.P. No. 1262/2016

PETITIONERS

Dr. Sharad Pandit S/o Late Shri
Yashwant Rao Pandit
Age: 65 years, Occupation: Service,
Address: 316 A.D., Scheme No. 74,
Vijay Nagar, Indore - (M.P.)

Versus

RESPONDENTS

- 1) The State of Madhya Pradesh
Through Principal Secretary,
Ministry of Public Health &
Family Welfare,
Vallabh Bhawan,
Bhopal - (M.P.)
- 2) Commissioner, Health Services
Satpuda Bhawan, Bhopal - (M.P.)
- 3) Chief Medical & Health Officer
Office of the CMHO
Indore - (M.P.)

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION
OF INDIA

The humble petitioner most respectfully submits as under:-

1. **Particulars of the cause/order against which the petition is made:-**

- (1) Date of Order: **04/02/2016**
- (2) Passed in: **In the matter of suspension of petitioner**
- (3) Passed by: **Respondent Department.**
- (4) **Subject-matter in brief:-**

By filing the present petition, the petitioner is challenging the order dated 04/02/2016 passed by Respondent No. 1 whereby the Respondent No. 1 vide order dated 04/02/2016 suspended the petitioner

[Signature]

with the allegation to carelessness in Government work and financial irregularities particularly in Scheme Known as Chief Minister Cochlear Implant Scheme

The above mentioned action of the Respondents is illegal, arbitrary and without jurisdiction and also in gross violation of principles of natural justice since the suspension order has been issued all of sudden and no show cause notice or no opportunity of hearing has been granted to the petitioner.

It is submitted that the order was issued on the instructions of the Chief Minister of state without looking into the actual condition and facts of the matter. A Copy of the order dated 04/02/2016 passed by the Respondent No. 1 is filed and marked as Annexure - P/1.

2. **A DECLARATION THAT NO PROCEEDING ON THE SAME SUBJECT MATTER HAS BEEN PREVIOUSLY INSTITUTED IN ANY COURT, AUTHORITY OR TRIBUNAL, IF INSTITUTED THE STATUS OR RESULT THEREOF, ALONG WITH COPY OF THE ORDER:-**

The petitioners declare that the matter, regarding which this petition has been made, is not pending in any other court of law or any bench of any tribunal.

3. **DETAILS OF REMEDIES EXHAUSTED:-**

The Petitioners declares that he has availed all statutory and other remedies.

4. **DELAY IF ANY, IN FILING THE PETITION, AND EXPLANATION THEREOF:-**

There is no delay requiring special explanation.



5. **FACTS OF THE CASE:-**

5.1) That, the Petitioner is Doctor by profession and presently posted as Joint Director, Health, Indore Division, Indore, and performing his duties with utmost sincerity and diligence without a blemish on his career throughout being responsible citizen of India and entitled to the rights, dignity and privileges and bound by the duties imposed by the Constitution of India.

5.2) That, Respondent No. 1 to 3 are instrumentality of State of Madhya Pradesh and falls under the scope of Article 12 of Constitution of India and therefore amenable under the Writ jurisdiction of this Hon'ble Court.

5.3) That, on 04/02/2016, a news item was published in daily newspaper "Dainik Bhaskar" with a title "*JD Dr. Shurad Pandit suspended by CM*". It was further alleged in the newspaper that the petitioner has been suspended for the reason that he had returned a file of treatment of a girl child resident of Khandwa. A Copy of news item dated 04/02/2016 is filed and marked as **Annexure - P/2**. The above mentioned news was to the utter surprise of petitioner since the petitioner had not committed any regularity or any discrepancy in the above mentioned matter since the case of the girl child.

5.4) That, the petitioner is present posted at Joint Director, Health Services, Indore Division, Indore, and being on the above mentioned post, it is duty of the petitioner to look after the implementation of Government schemes for the interest of public at large and the petitioner is performing his above mentioned responsibility with utmost sincerity and dedication and no scope for lacuna or loopholes has been left on the part of petitioner while implementing the above mentioned scheme.

me

5.5) That, the Government of Madhya Pradesh has framed a scheme namely "**Mukhyamantri Bal Shravan Yojna**" wherein treatment of the children born with hearing disability (deaf) are provided financial help for their treatment. The Ministry of Social Justice and Disability Welfare issued an order dated 29/09/2014 for the implementation of the above mentioned scheme wherein the conditions for implementing the scheme has been provided. A Copy of order dated 29/09/2014 issued by Social Justice and Disability Welfare Department is filed and marked as **Annexure - P/3**.

In view of above mentioned order issued by Ministry of Social Justice and Disability Welfare, the Directorate Health Services issued an order dated 05/11/2014 wherein procedure for sanctioning the cases of beneficiaries under above mentioned scheme. A Copy of order dated 05/11/2014 is filed and marked as **Annexure - P/4**. It is clear from the above mentioned order that the above mentioned scheme was aimed to be implemented till 31/12/2014.

It is worth mentioning here that a Committee was constituted as per order dated 05/11/2014 which was headed by Commissioner, Indore, and the present petitioner was also part of the above mentioned Committee. It is further submitted that any cases scheme will be sanctioned by the Committee. The cases sanctioned by the Committee are forwarded to the concerned Nodal hospital for treatment of the beneficiary under the above mentioned scheme and the entire expenses of the treatment of the said beneficiary is borne by the State of Madhya Pradesh.

It is also pertinent to mention here that the Respondent No. 1 has sanctioned a list of hospitals to provide the treatment under the scheme as a Nodal hospital and the treatment under the above mentioned scheme can be done only in the Nodal hospital sanctioned by the

[Signature]

5

Respondent No. 1. A Copy of order dated 05./03/2015⁷² mentioning the name of sanctioned hospitals for the purpose of scheme is filed and marked as **Annexure – P/5**. It is submitted that the selection hospital will be the hospital which is near to the home town of the applicant child as after treatment /operation, there will be continuous therapy for the concerned child.

5.6) That, it is clear from Annexure – P/5, that Aurobindo Medical College & Hospital, Indore, is the Nodal hospital for the purpose of above mentioned scheme for the purpose of treatment of beneficiaries of Indore area. It is also clear from above mentioned order that only an amount of Rs. 6.50 lacs has been sanctioned in year 2015 for the purpose of the above mentioned scheme and due to unavailability of funds by the Respondent No. 1, the petitioner was facing difficulties in the implementation of above mentioned scheme. The above mentioned fact is evident from the letters / demand for payment issued by Sri Aurobindo Medical College & PG Institute, Indore, on various dates demanding the payment against the operations performed under the above mentioned scheme in year 2015. A Copy of demand letter issued by Sri Aurobindo Medical College & PG Institute, Indore, are filed and marked as **Annexure – P/6**. (Collectively)

5.7) That, the Commissioner, Indore, sent a letter dated 07/03/2015 to the Commissioner, Health Services, Bhopal, whereby the Commissioner, Indore, has raised a demand for dues against the payment pending to the hospitals for the operations (cochlear implant) already done by the hospitals. It is also mentioned in the above mentioned letter that near about 40 applications were still pending as on 07/03/2015 but the treatment could not be done due to unavailability of funds. A Copy of letter dated 07/03/2015 is filed and marked as **Annexure – P/7**.

[Signature]

It is also worth mentioning here that the Additional Director, Social Justice & Disability Welfare Department sent a letter dated 29/09/2015 to the Commissioner, Indore, wherein the authority has clearly mentioned that payment of Sri Aurobindo Medical College & PG Institute, Indore, is pending against the cases of year 2014 itself for the operations already performed by the hospital. A Copy of letter dated 29/09/2015 is filed and marked as **Annexure – P/8**.

5.8) That, the Commissioner, Indore, has also written a letter to the Commissioner, Public Health & Family Welfare Department, regarding the allotment of budget for the purpose of treatment of the children under the above mentioned scheme vide letter dated 04/12/2015. A Copy of letter dated 04/12/2015 is filed and marked as **Annexure – P/9**. In spite of above mentioned several communication letters and the demands raised by the Nodal hospitals, the funds has not been allotted by the Respondents for the payment of dues against the treatment already done by the hospital. It is further submitted that due to unavailability of funds, the cases of several beneficiaries are pending for the treatment hence the Commissioner, Indore, made a request to the Joint Director, Government of India, vide letter dated 29/01/2016 to grant permission to perform the surgery of pending beneficiaries under the scheme of Central Government since the State Government has not allotted funds for the above mentioned in previous financial year. A Copy of letter dated 29/01/2016 along with the list of pending beneficiaries is filed and marked as **Annexure – P/10**.

5.9) That, as per record available in the office of Commissioner, Indore, a total number of **46 cases of the beneficiaries are pending for the surgery as on date**. The investigation in the cases of the pending beneficiaries has already been done by the department of petitioner but due to unavailability of funds, the operations could not have been done



till date. A Copy of list of pending beneficiaries is filed and marked as **Annexure – P/11.**

5.10) That, the petitioner has been served with suspension order (Annexure – P/1) on 04/02/2016 mentioning the reason of carelessness in Government work and financial regularities but in fact the petitioner has been put to suspension due to an order of the Chief Minister of Madhya Pradesh as published in daily newspaper "Dainik Bhaskar" for the allegation that the petitioner has returned a case of one girl child resident of Khandwa. It has been alleged that the parents of the girl child had made a complaint to the Chief Minister in "Jan Sunwai" that the petitioner has returned their case arbitrarily. The Chief Minister acting promptly directed the Respondent No. 1 to suspend the petitioner without going into the roots of the matter and without calling any explanation from the petitioner. It is further submitted that in compliance of the oral instruction of the Chief Minister, the Respondent No. 1 has issued the impugned order of suspension making false and baseless allegations.

5.11) That, the petitioner most humbly submits that the case of girl child of Khandwa was not returned at the instance of petitioner since the petitioner is not sole authority for sanctioning the case of beneficiaries under the above mentioned scheme because the case for above mentioned scheme are sanctioned by a Committee constituted under the scheme headed by Commissioner, Indore, hence the suspension of petitioner is unjust, unfair, illegal and arbitrary. It is worth mentioning here that the reason behind returning the case of alleged girl child is unavailability of funds for implementation of above mentioned scheme, the case was not return The above mentioned fact is also evident from the news item dated 04/02/2016 published in daily newspaper "Nai Dunia" wherein it is clearly mentioned that near about 7,000 children are still waiting for their turn for the treatment under the

the

above mentioned scheme and the treatment of children could not have been done since the Government has not paid the dues of hospitals for the surgeries already done. A Copy of news item dated 04/02/2016 published in "Nai Dunia" is filed and marked as **Annexure - P/12**.

5.12) That, the petitioner further submits that the suspension of petitioner is contrary to Rule 9 of M.P. Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966. Rule 9 of above mentioned Rules provides for suspension of a Government servant.

5.13) That, the above mentioned action of the Respondents is illegal, arbitrary, discriminatory and without jurisdiction and gross violation principle of natural justice.

Being aggrieved with illegal and arbitrary action on the part of Respondent No. 1, the petitioners are filing present petition before this Hon'ble Court on the grounds as under:

6. **GROUND'S URGED:-**

6.1 Because, the impugned order is illegal and arbitrary and based on false and baseless allegations since the petitioner has been performing his duties with utmost sincerity and dedication without any blemish throughout his career.

6.2 Because, the suspension of petitioner is based on an oral instruction issued by the Chief Minister of Madhya Pradesh upon a false complaint.

6.3 Because, the instruction issued by the Chief Minister to the Respondent No. 1 in haste and hurry without calling any explanation and without granting any opportunity of hearing and

me

without going into the roots of the matter and the Respondent No. 1 has suspended the petitioner on above mentioned instruction.

- 6.4 Because, the petitioner has tried his level best to implement the scheme of the State Government for treatment of the children suffering with hearing disability but due to unavailability of funds from the Respondent No. 1, the above mentioned scheme could not be properly implemented which is evident from the Annexures. It is further submitted that a total number of 46 children are still queue for the (cochlear implant) surgery but the same could not be done due to unavailability of funds.
- 6.5 Because, the Respondent No. 1 has leveled the charge of financial irregularity and carelessness in Government work which is false and baseless since the department of the petitioner had no funds for implementation of the scheme hence question of carelessness and financial irregularity by the petitioner does not arise.
- 6.6 Because, it is evident from the Annexures that the Respondent No. 1 has allotted only an amount of Rs. 6.50 lacs for the year 2015 wherein lots of dues are already pending for payment of the Nodal hospital against the surgery already performed in year 2014 hence the alleged allegation of not sanctioning case under the scheme is false and baseless and remains out of question.
- 6.7 Because, the petitioner is not sole authority for sanctioning a case of beneficiaries under the above mentioned scheme since a Committee headed by Commissioner, Indore, only is authorized to sanction the case of beneficiaries for the purpose of the above mentioned scheme hence the petitioner cannot be made solely responsible for non-implementation of the scheme.




- 6.8 Because, the reason behind non-implementation of the scheme is only and only unavailability of funds hence in absence of funds itself, the allegation of financial irregularity does not survive.
- 6.9 Because, the suspension order issued under Rule 9 of M.P. Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966, is not a routine order and it cannot be issued without proper application of mind.
- 6.10 Because, the impugned order has been passed in utter violation of principles of natural justice since the petitioner has not been served with any show cause notice and has not been granted an opportunity of hearing before his suspension.
- 6.11 Because, the petitioner has invested his entire life to serve the department as well as public at large and only short tenure of 10 months of service of petitioner is remaining hence the order of suspension at the fag end of service is neither just nor proper for false and baseless reasons.
- 6.12 That, other grounds will be urged at the time of the hearing of the Petition.
7. **RELIEFS SOUGHT**: - It is, therefore, most humbly prayed by the petitioner that by a suitable writ, order or direction this Hon'ble Court may be pleased to:-
- To quash the impugned order dated 04/02/2016.
 - To allow the present petition with costs.
 - Any other relief deemed fit in the facts and circumstances of the case.

8. **INTERIM RELIEF:-** Looking to the fact and circumstances of the present case, it is most humbly prayed that the operation and effect of impugned order may kindly be stayed till the pendency of present petition.
9. **Alternative Remedy exhausted:-** Petitioner declares that it has no alternative remedy except to file this writ petition. It is most humbly submitted that Rule 23 of M.P. Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966, provides for Appeal against the impugned order but in case in hand, the petitioner has been suspended under oral instruction of the Chief Minister of Madhya Pradesh who is heading the State and the petitioner has not left with any hope from the appellate authorities to interfere in the matter hence the petitioner has not been left with any option but to approach before this Hon'ble Court by way of present petition.
10. **Matters not pending:-** Petitioner further declares that no proceeding in regard to subject matter of this petition is pending before any other court or tribunal.
11. **List of Documents:-** As per INDEX.
12. **CAVEAT:** That, no notice of lodging a Caveat by the opposite party is received.

Indore

Dated: 05/02/2016

Submitted by

Counsel of Petitioner
for Abhinav P. Dhanodkar



(12)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE

WRIT PETITION No. _____/2016

PETITIONER

Dr. Sharad Pandit

Versus

RESPONDENTS

State of M.P. & Others

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF WRIT PETITION

1. That,
- My name : Dr. Sharad Pandit
Father's name : Late Shri Yashwant Rao Pandit
Age : 65 years
Occupation : Service
Address : 316 A.D., Scheme No. 74, Vijay Nagar, Indore - (M.P.)

2. That, I am the Petitioner in the present petition. I am well conversant with the facts of the case. I, therefore, state on oath that the contents of accompanying petition are true to my knowledge. Nothing stated therein is false and nothing is concealed there from.

Indore,

5 FEB 2016

Sharad Pandit
DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named, hereby verify that the contents of para 1 & 2 of the above affidavit are true to my knowledge. Nothing stated therein is false and nothing is concealed there from.

Signed and verified today at Indore.

Date: .02.2016

5 FEB 2016

Sharad Pandit
DEPONENT

Rajesh
RAJESH KUMAR VYAS
Oath Commissioner
For High Court Bench, INDORE (M.P.)
State Bar Council of MP Re.No.1435/88

Identified by me

5 FEB 2016
Sworn before me on the 5th day of
Feb 2016 at 10:45 AM PM by
Dr. Sharad Pandit who is a
who has been duly sworn in
whose signature is/are thereon
appended. Rajesh

(13)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE

WRIT PETITION No. _____ /2016

PETITIONER

Dr. Sharad Pandit

Versus

RESPONDENTS

State of M.P. & Others


LIST OF DOCUMENTS

S. No	Description of Documents	Date	Annexure No. (if any)
1.	Copy of the order dated 04/02/2016 passed by the Respondent No. 1.		P/1
2.	Copy of news item dated 04/02/2016.		P/2
3.	Copy of order dated 29/09/2014 issued by Social Justice and Disability Welfare Department		P/3
4.	Copy of order dated 05/11/2014.		P/4
5.	Copy of order dated 05/03/2015 mentioning the name of sanctioned hospitals for the purpose of scheme.		P/5
6.	Copy of demand letter issued by Sri Aurobindo Medical College & PG Institute, Indore.		P/6
7.	Copy of letter dated 07/03/2015.		P/7
8.	Copy of letter dated 29/09/2015		P/8
9.	Copy of letter dated 04/12/2015		P/9
10.	Copy of letter dated 29/01/2016 along with the list of pending beneficiaries.		P/10
11.	Copy of list of pending beneficiaries.		P/11
12.	Copy of news item dated 04/02/2016 published in "Nai Dunia".		P/12

Indore

Date: 05/02/2016

Submitted by



Counsel for Petitioner
 for Abhinav P Dhanodkar

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

ANNEXURE-P/1

14


-- आदेश --

भोपाल, दिनांक 4 / 02 / 2016

क्रमांक 270 / 471 / 2016 / सत्रह / मेडि-1 : डॉ. शरद पंडित, प्रभारी संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, इंदौर को मुख्यमंत्री बाल भ्रूण योजना में इलाज के लिए राशि देने में की गई देरी, शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने तथा आर्थिक अनियमितता किये जाने के कारण राज्य शासन एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में डॉ. शरद पंडित का मुख्यालय संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल- रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

2/ डॉ. आर.सी. पनिका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार को अपने कार्य के साथ-साथ संभागीय संयुक्त संचालक, इंदौर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्याध्यक्ष के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. रमणी अहमद खान)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 / 02 / 2016

पृ. क्रमांक 271 / 471 / 2016 / सत्रह / मेडि-1
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की ओर मान. मंत्रीजी को अवगत कराने बायत।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र।

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्यालियर,
 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 3. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल
 4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर एवं भोपाल,
 5. जिला कोषालय, अधिकारी, इंदौर एवं भोपाल,
 7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, इंदौर, भोपाल, एवं धार,
 8. डॉ. शरद पंडित, प्रभारी संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, इंदौर
 9. डॉ. आर.सी. पनिका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार,
 10. स्टाफ फाईल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,


आपका पढ़ाई है देश का भविष्य और नंबर 1 अक्षर

आपका पढ़ाई है देश का भविष्य और नंबर 1 अक्षर

संस्करण	27437.94
शिक्षण	27735.02
सोना	27260
पिछला	27170
बादी	35075
पिछला	34750
डॉक्टर	63.88
पिछला	63.32
पुरा	68.84
पिछला	67.9

गुरुवार, 4 फरवरी, 2016, माघ कृष्ण पक्ष-11, 2072

ती ऊंचाई पर प्लेन में आतंकी यलट ने कराई सुरक्षित लैंडिंग



भास्कर एक्सपर्ट

रेयर मामला, पायलट की काबिलियत का नतीजा

ये पायलट की बुद्धिमान से संभव है। लेकिन इसे समझकर नहीं कहेंगे। जिस विमान के साथ ये हादसा हुआ वो एयरबस है। इनको एम्बेल्ड सीटिंग 40 हजार फीट होती है। यानी विमान इतनी ऊंचाई तक उठता है। इनके पायलट ऐसी परिस्थितियों के लिए ट्रेड रहते हैं। कई बार 20-25 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान में खराबी, थिंड से जुड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ये पायलट इन्हीं मैनेज करने में सक्षम होते हैं। ऐसे में 14 हजार फीट पर प्लेन में बस स छोड़ होने के बावजूद सुरक्षित लैंडिंग करना काबिलियत का ही जलज है। एयरपोर्ट पास था और टेकऑफ के दुरत बाद ये हादसा हुआ इसलिए सुरक्षित लैंडिंग हो गई। ये बात भी सही है कि इस तरह धक्का के बाद सुरक्षित लैंडिंग की बातें किसी भी उड़ान में।

बल्लों की इलाज की फाइनली

जेडी डॉ. शरद पंडित को सीएम ने निलंबित किया

भास्कर संवाददाता | इंदौर/छत्तीस

मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना में आर्थिक सहायता देने में देरी और लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. शरद पंडित को निलंबित कर दिया। बुधवार को समाधान ऑनलाइन में शिकायतों की समीक्षा के दौरान सीएम को खफा की बच्ची से जुड़े एक प्रकरण में डॉ. पंडित की लापरवाही नजर आई। उन्होंने प्रमुख सचिव गौरी सिंह से स्तब्ध ली। उन्होंने भी इसे लापरवाही बताया तो सीएम ने तुरंत ही जेडी को निलंबित करने के निर्देश प्रमुख सचिव को दिए। साथ ही इस बच्ची को 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।



मोटर ने लुधियाना थाने में दर्ज कराई शिकायत

हॉकी कप्तान सरदार पर यौन शोषण और गर्भपात के आरोप

ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय
हॉकी खिलाड़ी है लड़की

भास्कर न्यूज | लुधियाना

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर उनकी मोटर ने यौन उत्पीड़न, जबरन गर्भपात और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोप लगाने वाली महिला ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। 21 साल की इस महिला ने लुधियाना के मोटर में दर्ज की शिकायत।



फेसबुक पर दोस्ती, ट्विटर पर सगाई, थाने में ब्रेकअप

मौरव मरवाहा | पंजीक

सरदार सिंह और ब्रिटिश हॉकी खिलाड़ी एके की प्रेम कहानी करीब चार साल पुरानी है। 2012 के शुरू में सरदार और एके की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। दोनों जल्द ही दोस्त हो बन गए। लंदन ओलिंपिक के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई। तब सरदार ने शीघ्र ही



ANNEXURE- P/3 लोरेट. इन्दौर

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
वल्लभ भवन मंत्रालय
// आदेश //

दिनांक 29-03-2014
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक

क्रमांक / 1212 / 2014 / 26-2.

न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक / 1079 / 997 / 2014 / 26-2, दिनांक 21-08-2014 द्वारा मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का इस्तान्तरण लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को किया गया है।

2- मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट में प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

3- मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थायी वित्त समिति की आयोजित बैठक दिनांक 24-03-2014 में योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं इस आधार पर अनुपूरक बजट में आवश्यक बजट प्रावधान प्राप्त होना संभावित है।

4- मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव दिनांक 26-09-2014 अनुसार मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का विद्यमान स्वरूप में क्रियान्वयन जारी रखना उचित प्रतीत होता है। अतः स्वास्थ्य विभाग के बजट में प्रावधान उपलब्ध होने पर्यन्त तक 31 दिसम्बर 2014 तक निराश्रित निधि से योजना के तहत सहायता राशि पूर्वानुसार उपलब्ध करायी जाये।

5- मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय के प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया गया है कि राज्य निराश्रित निधि में संग्रहित ब्याज की राशि से ₹ 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़ मात्र) अग्रिम स्वरूप आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय को निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध करायी जाती है :-

1- उक्त राशि अग्रिम स्वरूप प्रदान की जा रही है, अतः स्वास्थ्य संचालनालय के अनुपूरक बजट में या प्रस्ताव अनुसार अन्य योजना में राशि उपलब्ध होते ही उक्त राशि आयुक्त, सामाजिक न्याय, म.प्र. को लौटाई जावेगी।

4011
29/3/14

राशि	उपलब्ध
इन्दौर संभाग, इन्दौर	तत्काल
श.प्र.	कि. 8/14
मु.प्र.	कि. 8/14

कि. 8/14
4

(17)

- 2- उपर्युक्त राशि का उपयोग मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के प्रयोजन हेतु किया जायेगा। अन्य किसी मद में राशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- 3- योजनान्तर्गत श्रवणबाधित हितग्राहियों का उपचार, शल्यक्रिया चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत मेडिकल कॉलेज यथा- अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर एवं चिरायु मेडिकल कॉलेज, भोपाल में प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी।
- 4- श्रवणबाधित हितग्राहियों के आपरेश पश्चात् वर्बलथैरेपी एवं फालोअप की व्यवस्था भी संबंधित मेडिकल कॉलेज की होगी, तदनुसार व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाये।
- 6- योजनान्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र. को समयावधि में प्रेषित की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भारती दशपुत्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

भोपाल, दिनांक 29-9-2014

पृ.क्रमांक/1213 /2014/26-2.
प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सहकारिता की ओर सूचनार्थ।
- 2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(18)

- 5- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
- 6- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल
- 7- आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, 1250 तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8- आयुक्त, राजस्व संभाग भोपाल एवं इन्दौर।
- 9- कलेक्टर जिला भोपाल एवं इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मंत्रालय, भोपाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

ANNEXURE - P/4

क्रमांक/स.वी.स.वि./2014/

भोपाल, दिनांक 2/10/2014

19

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश दिनांक 29/9/2014 के अनुक्रम में मुख्यमंत्री वार्ड योजना का विद्यमान स्वरूप में 31 दिसम्बर 2014 तक क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा रुपये 2.00 करोड़ की राशि आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश को कॉलेज के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। राशि का वितरण एवं योजना का प्रचलन निम्नानुसार किया जावे :-

1. रुपये 2.00 करोड़ की राशि प्राप्त होने पर राज्य स्वास्थ्य समिति के शान्ति में जमा की जावे।
2. राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को 50.00 लाख, इन्दौर को 50.00 लाख, ग्वालियर को 25.00 लाख, जबलपुर को 25.00 लाख, सीवा कर 25.00 लाख एवं सागर को 25.00 लाख राशि की राशि ई-बैंकिंग द्वारा ट्रांसफर की जावे।
3. मुख्यमंत्री वार्ड योजना अन्तर्गत इन्दौर एवं राजौर संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त इन्दौर, भोपाल एवं रामदापुरम संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त ग्वालियर, सीवा एवं शहडोल संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त सीवा एवं सागर संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त सागर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
4. प्रकरणों पर स्वीकृति आदेश संभागीय मुख्यालय पर पदस्थ संयुक्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जावेगा। आदेश को प्रति संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं हितग्राही को भी पृष्ठांकित की जावे।
5. स्वीकृति आदेश के आधार पर संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा स्वीकृत की गई राशि ई-बैंकिंग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त अस्पताल को कॉलेजियर इम्पलेंट आपरेशन हेतु भेजेंगे एवं राशि भेजने की सूचना हितग्राही को भी दी जावे।
6. चिकित्सा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त अस्पताल जिन्हें हितग्राही के कॉलेजियर इम्पलेंट आपरेशन हेतु राशि भेजी गई है, आपरेशन उपरान्त व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें को भेजेंगे।

(Signature)
मान्य

7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये उपयोग को गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 5 जनवरी 2015 तक अनिवार्य रूप से संकलित कर संचालक (वित्त), राज्य स्वास्थ्य मिशन, बैंक ऑफ इंडिया, जेल रोड अरेंरा हिल्स भोपाल म.प्र. को भेजेंगे। संचालक (वित्त), राज्य स्वास्थ्य मिशन, उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर सामाजिक न्याय विभाग को प्रेषित करेंगे।
8. राज्य स्वास्थ्य समिति / संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल आवश्यकता होने पर राशि को एक संभाग से दूसरे संभाग में हस्तांतरित कर सकेंगे। यह व्यवस्था 31 दिसम्बर 2014 तक प्रभावशील रहेगी। तत्पश्चात मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

(स्वस्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित 1)

4139
5/1/14

(डॉ. के.एल. साह)
संचालक स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./रा.वी.सा.नि.2014/

436

भोपाल दिनांक 7/10/2014

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र., शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय।
5. समस्त आयुक्त, (राजस्व) मध्यप्रदेश।
6. मिशन संचालक, एन.एच.एम., बैंक ऑफ इंडिया जेल रोड अरेंरा हिल्स भोपाल।
7. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
8. संचालक चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. संचालक (वित्त) राज्य स्वास्थ्य, बैंक ऑफ इंडिया जेल रोड अरेंरा हिल्स भोपाल।
10. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
11. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय म.प्र.।
14. शाखा प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय। वेबसाइट पर अपलोड करें।

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश

(21)

कार्गिल: संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं इन्दौर संभाग, इन्दौर (म.प्र.)
नस्ती क्रमांक:
दिनांक:

विषय:- मुख्य मंत्री बात श्रवण उपचार योजना के संबंध में।

- ① A अनुहार योजना का दसोतल स्वास्थ्य विभाग के किया जा चुका है। वतवान के पूर्व में किये गये operations के तहत 156 cases का अनुमान लिकत है वे आपका पाल 50 lakh उपलब्ध हैं और 50 lakh का अनुमान का बोध राशि के किये आवंल बांगे।
- ② कि दिकारियों के operations के सुके हैं अकी progress की technical team के समक्ष रखवाये व समक्ष में ~~करके~~ परीक्षण करें जिससे अके द्वारा claim अनुसार बचतों में प्रगति है इसकी सुनिश्चितता के सके।
- ③ You can do the operations of 7 pending cases that have been found fit & they are of Indore or Ujjain division.
- ④ Screening of new cases can be done and specific recommendations of whether they are fit cases or not should be explained to parents as well as to ~~the~~ presented to committee (technical).


61

कार्यालय सभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाओं इन्दौर संभाग इन्दौर (म.प्र.)
नस्ती क्रमांक :
दिनांक : / /

विषय:- मुख्य मंत्री द्वारा अग्रण उपचार योजना के संदर्भ में

- ① A' अनुसार योजना का हस्तातण स्वास्थ्य विभाग को किया जा चुका है। वतमान में की गये operations के तहत 1.56 crore का अनुमान लीजिए है वे आपका पास 50 lakh उपलब्ध हैं अतः इस 50 lakh का अनुमान कर बोध राशि के लिये आवंटन बांटे।
- ② जिस दिक्काहियों के operations हो चुके हैं उनकी progress की technical team के समक्ष रखवाये व समझ में करके परीक्षण करें जिससे उनके द्वारा claim बहुत बढ्या में प्रगति है इसकी सुनिश्चितता हो सके।
- ③ You can do the operations of 7 pending cases that have been found fit & they are of Indore or Ujjain division.
- ④ Screening of new cases can be done and specific recommendations of whether they are fit cases or not should be explained to parents as well as to the presented to committee (technical).



कार्यालय सभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म.प्र.)

संख्या क्रमांक : 2.

शस्त्रा की भाग- मुख्य मंत्री स्वास्थ्य योजना


दिनांक 18/12/2014


विषय:- मुख्य मंत्री ग्राम स्वास्थ्य उपकरण योजना के संबंध में।

नोट:- शीट पृष्ठ क्रमांक-1-पर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा अंकित शीट के परिपत्र में मुख्य मंत्री ग्राम स्वास्थ्य उपकरण योजना के अन्तर्गत प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है


योजना के तहत अभी तक कुल 46 बच्चों की सर्जरी हो चुकी है। जिसमें से 25 बच्चों की सर्जरी की प्रथम किस्त की राशि रु0 16575000/- (एक करोड़ पैंसठ लाख पैंचाहत्तर हजार) का भुगतान किया जा चुका है। इन सभी 25 बच्चों की द्वितीय किस्त की राशि रु0 17250000/- (एक करोड़ सात लाख पच्चीस हजार मात्र) का भुगतान किया जाना है। इसी प्रकार 21 प्रकरण जिनकी सर्जरी हो चुकी है तथा इनकी प्रथम किस्त की राशि का भुगतान राशि रु0 13923000/- (एक करोड़ उनचासी लाख तीस, हजार) का भुगतान किया जाना शेष है। इस प्रकार कुल राशि रु0 15048000/- (एक करोड़ छप्पन लाख अड़तालीस हजार) का भुगतान किया जाना उचित होगा। स्वास्थ्य संचालनालय से योजना के तहत रु0 000000/- (पचास लाख) का आबंटन उपलब्ध है।


योजना के तहत पूर्व में चयनित 7 बच्चों का आपरेशन किया जाना बांध है। बांध पर कुल 48 में से 13 बच्चों उम्र के आधार पर अयोग्य पाए गए एवं 4 बच्चों इंदौर की राज्जैन संभाग के चार के बच्चे से संबंधित शिवाजी गणक कालावती हस्त प्रकट किये जाकर उनके एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया गया। 2 प्रकरणों को स्कैनिंग का जर्नी प्रारंभ है, जिसका प्रकट के आधार पर आवश्यक करण में प्रकट किया जायेगा। अतः आदेशाश



प्रभारी अधिकारी
डॉ. श्रीमती सी.के. ठाकुर
उप संचालक इन्दौर संभाग, इन्दौर



प्रभारी मानविकी अधिकारी
डॉ. श्रीमती आशा पंडित
एम.एस. (ई एन.टी.) डी.एच.ओ. इन्दौर

तकनीकी सदस्य गुण:-


डॉ. आनंद गुहड़ा
विभागाध्यक्ष ई.एन.टी.
एम.जी.एम. मेडिकल कालेज
एम.व्हाय.एच. इन्दौर



मेडिकल अधिकारी
डॉ. श्री.एस. खोहान
(एम.एस. (ई.एन.टी.)
इन्दौर


श्रीमती नीशा पीटर जार्ज
आडियो लॉजिस्ट
(ई.एन.टी.) विभाग
एम.व्हाय.एच. इन्दौर


श्री सज्जद भट्टाचार्य
आडियो लॉजिस्ट
(ई.एन.टी.) विभाग
श्री अरवि सिंह मेडिकल कालेज

18/12/14

Commissioner


सभागीय संयुक्त संचालक
स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर संभाग
इन्दौर (म.प्र.)


18 DEC 2014

Received
18/12/14


4/3/15

J.D. Health

Do it immediately now



3.3.2015



देश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक रक 10-10/2015/17 ने 2

भोपाल, दिनांक 5/3/2015

11/3/15
ANNEXURE-P/5

24

आदेश

राज्य शासन तकनीकी समिति की अनुशंसा के आधार पर, एतद् द्वारा मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना अन्तर्गत कॉक्लियर इम्प्लान्ट हेतु पैकेज राशि रुपये 6.50 लाख (रुपये छ लाख पचास हजार मात्र) पुनरीक्षित करता है।

2. पुनरीक्षित पैकेज दिनांक 01.02.2015 अथवा उसके पश्चात् ऑपरेट किये गये / जा रहे सभी प्रकरणों पर लागू होगा।

3. मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना अन्तर्गत निम्न चिकित्सालयों को शासन द्वारा मान्यता दी गई है:-

1. अरविंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इंदौर।
2. धिराय मेडिकल कॉलेज, भोपाल।
3. एल.एन. मेडिकल कॉलेज एवं जे.के. हॉस्पिटल, भोपाल।
4. दिव्य एडवांस ई.एन.टी. क्लिनिक, भोपाल।
5. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली।
6. पी.डी. हिन्दुजा नेशनल हॉस्पिटल, मुम्बई।
7. लीलावती हॉस्पिटल, मुम्बई।
8. देश में स्थित अन्य प्रतिष्ठित चिकित्सालय जिन्हें केन्द्र शासन द्वारा मान्यता दी गई है।

4. संभागीय समिति की स्वीकृति उपरान्त जिला स्तर पर निर्धारित पैकेज हेतु रुपये 6.50 लाख (रुपये छ लाख बीस हजार मात्र) की राशि राष्ट्रीय बाल श्रवण कार्यक्रम (एन.ए.के.) के अन्तर्गत आवंटित राशि से स्वीकृत की जाये एवं देश की व्यवस्था अनुसार से की जाये। योजना हेतु राज्यांश के लिए राज्य वजेट में आवंटित राशि को ध्यान में रखा जाये।

13.3.15
DyD.
Dr. Patil
Ch.

5. प्रकरण विशेष में पैकेज सीमा से अधिक राशि की आवश्यकता होने पर संबंधित हितग्राही को स्वयं ऐसे अतिरिक्त व्यय का वहन करना होगा।

योजना क्रियान्वयन की शेष व्यवस्था यथावत् रहेगी।

म.प्र. राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

[Signature]
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 5 / 3 / 2015

पृ.क. एक ७५ - 10-10/2015/17 मे 2

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
5. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
6. समस्त, आयुक्त (राजस्व) मध्यप्रदेश।
7. मिशन संचालक, एन.एच.एम. बैंक ऑफ इंडिया जेल रोड अरेश विहार भोपाल।
8. समस्त, संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
10. संचालक, (वित्त) राज्य स्वास्थ्य, बैंक ऑफ इंडिया जेल रोड अरेश विहार भोपाल।
11. समस्त, अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
12. समस्त, फ्लेक्टर मध्यप्रदेश।
13. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
14. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश।
15. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
16. समस्त, सिविल सर्जन राह अधिकांश मध्यप्रदेश।
17. शाखा प्रभारी एम.आई.एस. स्थानिय कार्यालय। वेबसाइट पर अपलोड करें।

[Signature]
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



Sri Aurobindo Medical College & PG Institute

SAIMS HOSPITAL

ANNEXURE-P/6

क्रमांक/सेम्स/2016/76

दिनांक : 28.01.2016

26

प्रति,
स्वास्थ्य आयुक्त महोदय,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय : मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लान्ट हेतु किये गये भुगतान की शेष राशी रु. 47,77,800/- का भुगतान श्री अरविंदो इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंदौर को किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : 1. संस्था का पत्र क्रमांक/सेम्स/2015/949 दिनांक 23.11.2015.
2. संस्था का पत्र क्रमांक/सेम्स/2015/958 दिनांक 01.12.2015.

महोदय,

कृपया, विषयान्तर्गत संस्था के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.11.2015 एवं 01.12.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट कीजिये। इस संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि संस्था में उक्त योजना के अन्तर्गत कॉकलियर इम्प्लान्ट के किये गये ऑपरेशनों की शेष राशी रु. 1,15,77,800/- (एक करोड़ पन्द्रह लाख सतत्तर हजार आठ सौ रुपये) में से राशी रु. 68,00,000/- (अड़सठ लाख रुपये) सी.एम.एच.ओ., इंदौर से संस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इसके लिये संस्था आपको आभार व्यक्त करती है, और अब रु. 47,77,800/- (सैतालिस लाख सतत्तर हजार आठ सौ रुपये) प्राप्त होना शेष है। निवेदन है कि शेष राशी रु. 47,77,800/- (सैतालिस लाख सतत्तर हजार आठ सौ रुपये) का शीघ्र भुगतान करवाने की कृपा करें। साथ ही वर्तमान में प्राप्त हुई राशी रु. 68,00,000/- (अड़सठ लाख रुपये) की प्राप्ति दर्शाकर वर्तमान स्थिति से संबंधित स्टेटमेंट इस पत्र के साथ पृष्ठ क्रमांक 22 से 23 तक संलग्न प्रेषित है।

सादर, सधन्यवाद।

भवदीय
PROF. Dr. (COL) M. KAPADIA
MEDICAL SUPERINTENDENT
SAMC, SATEPURDA
SAIMS HOSPITAL, INDORE (M.P.)

संलग्न सुलभ संदर्भ हेतु संस्था के पत्र दिनांक 23.11.2015 एवं 01.12.2015 के साथ पृष्ठ क्र. 22 एवं पृष्ठ क्र. 23.

पृष्ठांकन क्रमांक/सेम्स/2016/77-79

दिनांक : 28.01.2016

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग, की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स, पुरानी जेल, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इंदौर संभाग, इंदौर।

संलग्न - उपरोक्तानुसार (कुल पृष्ठ 23)

चिकित्सा अधीक्षक
PROF. Dr. (COL) M. KAPADIA
MEDICAL SUPERINTENDENT
SAMC, SATEPURDA
SAIMS HOSPITAL, INDORE (M.P.)



Sri Aurobindo Medical College & PG Institute

SAIMS HOSPITAL

96

क्रमांक / सेम्स / 2015 / 958

दिनांक : 01.12.2015

प्रति,
स्वास्थ्य आयुक्त महोदय,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
भोपाल (म.प्र.)

विषय : मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लान्ट का भुगतान श्री अरविंदो इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंदौर को किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : संस्था का पत्र क्रमांक / सेम्स / 2015 / 949 दिनांक 23.11.2015.
महोदय,

कृपया विषयान्तर्गत संस्था के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.11.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट कीजिये। इस संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि लिपिकिय भूल से उक्त पत्र में संदर्भित बिंदु क्रमांक 2 में अभिव्यक्ति गलत हो गयी है। उक्त संदर्भित बिंदु क्रमांक 2 में जिसका वर्णन है वह आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण, म.प्र. ने श्रीमान को नहीं अपितु संभागीय आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग, इंदौर को लिखा था, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न की गयी है।

संस्था में कॉकलियर इम्प्लान्ट के किये गये ऑपरेशनों के संदर्भ में संलग्न विवरण पृष्ठ क्रमांक 1 व 2 में पृथक-पृथक मरीजवार परिशिष्ट-2 में वर्णित किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट है कि संस्था को प्राप्त होने वाली कुल राशि रु. 3,66,52,800/- (तीन करोड़ छियासठ लाख बावन हजार आठ सौ रुपये) में से राशि रु. 2,50,75,000/- (दो करोड़ पचास लाख पचत्तर हजार रुपये) प्राप्त हो चुके हैं और इस प्रकार 3,66,52,800 (कुल राशि) - 2,50,75,000 (प्राप्त राशि) = रु. 1,15,77,800/- (एक करोड़ पन्द्रह लाख सत्तर हजार आठ सौ रुपये) प्राप्त होना शेष है।

अतएव आपसे यह विवरण भेजते हुए निवेदन है कि उक्त राशि संस्था को भुगतान कराने हेतु कार्यवाही शीघ्र करने का कष्ट करें।

सादर, सुधन्यवाद।

भवदीय~

[Signature]
Medical Superintendent,
Sri Aurobindo Medical College & PG Institute,
Indore (M.P.)

- संलग्न - 1. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण, म.प्र. के पत्र की छाया प्रति।
2. संस्था में कॉकलियर इम्प्लान्ट के किये गये ऑपरेशनों की राशि का विवरण।
(कुल पृष्ठों की संख्या - 3)

[Signature]

412/शे 62-1
(2B)

सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश

(1259, लखनौ नगर, म.प्र. - 482002)

(फोन नं. 0661-2551005, 2551006, 2551007)

(फैक्स नं. 0661-2551008, 2551009)

क्रमांक/नि.क.शे/मु.म.वा.अ.सी./2016/1458

गोपाल दिनांक 29.09.2015

प्रति,

संभागीय आयुक्त,

इन्दौर संभाग इन्दौर।

विषय-

मुख्य मंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लाण्ट के प्रस्ताव शेष राशि का भुगतान के संबंध में।

मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित एवं पात्र श्रवणबाधित हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लाण्ट हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-4/100/2013/2/पञ्चपन, दिनांक 14-2-2014 द्वारा अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर में कॉकलियर इम्प्लांटेशन आपरेशन एवं उपचार हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत 46 चिन्हांकित एवं पात्र श्रवणबाधित हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लाण्ट अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर के माध्यम से कराये गये हैं।

3- अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर को ₹ 2,50,75,000/- का भुगतान किया गया है, शेष राशि ₹ 1,15,77,800/- का भुगतान होना शेष है। समन्वयक, अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्तानुसार श्रवणबाधित हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लाण्ट दिसम्बर 2014 पूर्व के हैं। समन्वयक, अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर से प्राप्त पत्र दिनांक 7 सितम्बर 2015 की छाया प्रति संलग्न है।

कृपया प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न- उपर्युक्तानुसार

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(Signature)
अपर संचालक
वारंते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं
निशक्तजन कल्याण, म.प्र.

c.m. bal shwan letters

BATCH F									
Sl	NAME	319398	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	Received	Pending
31	MOHAMMAD ZISHAN							663000	
32	HARSH GENLOO	319399	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	663000	
33	SHAYAN JAIN	319400	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	663000	
34	ARSHAD SHRESH	319401	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	663000	
35	MAHADEV TAN	319402	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	663000	
36	ARSH GUPTA	319403	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	663000	
Part Payment									
37	PARSHV SHREYA	319404	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	663000	
38	KRISHNA PATEL	319405	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	663000	
39	ARYAN	319406	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	663000	
40	CHARUJAL MEHRA	319407	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	663000	
41	NIKITA KHANNOOYA	319408	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	663000	
BATCH G									
42	SHUBHI SHARMA	325697	10/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	663000	
43	DIPALI	325698	10/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	663000	
44	PAYMI SHUKLA	325699	10/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	663000	
45	ABHINAV JAIN	325700	10/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	663000	
46	HISAMUDDIN	325701	10/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	663000	
Pending amounts								7148000	

1st installment of S.N. 28 to 46 pending of Rs. 7148000/-

2nd installment of S.N. 28 to 46 pending of Rs. 1448000/-

3rd installment of S.N. 1 to 46 pending of Rs. 3045600/-

Payment Receiving details

28/04/2014 13,26,000/-

15/05/2014 19,89,000/-

04/07/2014 1,32,60,000/-

09/01/2015 50,00,000/-

30/03/2015 35,00,000/-

Total Bill Amount	36672000
Total Received Amount	25075000
Total Pending Amount	11577000

Dr. Rajendra Singh
 काल-तम-गंगा विभाग
 मेधा मेडिकल कॉलेज
 एच.पी.जी. इन्स्टीट्यूट,
 एटोर



Sri Aurobindo Medical College & PG Institute

SAIMS HOSPITAL

(31)

क्रमांक/सेम्स/2015/343

दिनांक : 23.11.2015

प्रति,
स्वास्थ्य आयुक्त महोदय,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
भोपाल (म.प्र.)

विषय : मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लान्ट का भुगतान श्री अरविंदो इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंदौर को किये जाने के संबंध में।

- संदर्भ :**
1. संस्था का पत्र क्रमांक/सेम्स/2015/920 दिनांक 07.11.2015.
 2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण, म.प्र., भोपाल का आपके संबोधित पत्र क्रमांक/नि.क./9/मु.मं.बा.श्र.यो./2015/1456 दिनांक 29.09.2015.
 3. उक्त पत्र के साथ संलग्न संस्था के समन्वयक का पत्र दिनांक 07.09.2015.
 4. संस्था का पत्र क्रमांक सेम्स/आउट डी.बी./कं 593 दिनांक 03.07.2015.

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में संस्था द्वारा आयुक्त, इंदौर संभाग से किये गये कॉकलियर इम्प्लान्ट के भुगतान के संबंध में सम्पूर्ण पत्राचार की प्रतिलिपियां श्रीमान् के अवलोकनार्थ एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं। इसमें भुगतान के विवरण एवं जो भुगतान लेना शेष है से संबंधित दस्तावेजों को ध्वजांकित किया गया है। अतः कृपया प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर संस्था के शेके गये भुगतान को जारी करवाने का कष्ट करें।

सादर, सधन्यवाद।

संलग्न - उपरोक्तानुसार (कुल पृष्ठ संख्या 16)

ध्वजांकित पृष्ठों की संख्या (03 सं॥)

भवदीय

चिकित्सा अधीक्षक

SAIMS HOSPITAL
SAIMS HOSPITAL, INDORE

42/12-9

COCHLEAR IMPLANT PROJECT

S.NO.	PATIENT NAME	IPD NO.	DGR	DGO	DGP	COSP	1st INSTALLMENT	Payment Status	2nd INSTALLMENT After 6 months of Surgery	Payment Status	3rd INSTALLMENT After 2 years of Surgery	Payment Status
BATCH A												
1	PURVI MITTAL	285585	07/03/2014	09/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	653000	Received	69000	Received	64800/-	Pending
2	VARUN PANDITA	285584	07/03/2014	09/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	653000	Received	69000	Received	64800/-	Pending
BATCH B												
3	RITUL	290291	04/04/2014	05/04/2014	07/04/2014	10/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
4	RAHVEEN	290290	04/04/2014	05/04/2014	07/04/2014	10/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
5	JATIN	290299	04/04/2014	05/04/2014	07/04/2014	10/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
BATCH C												
6	AIRA ABRASI	293934	25/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
7	AISHA BEE	293937	25/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
8	GOURAV SONI	293938	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
9	RAI PATEL	293939	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
10	ANUSH	293937	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
11	TANISHKA	293936	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
12	ROUNAK	294059	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
13	ASHISH	293902	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
14	GHRA	293910	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
15	ATIF HUSSAIN	293903	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
16	SHRISHTI	293904	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
17	BHAVESH	293895	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
18	ROHAN ALTRAI	293899	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
BATCH D												
19	PRINCE DHASAD	296195	09/05/2014	10/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
20	DUGGU PANCHAI	296193	09/05/2014	10/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
21	DIVYANSHU	296284	09/05/2014	10/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
22	IGOURI DEVMANI	296296	09/05/2014	10/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
23	RAHMOL	296287	09/05/2014	10/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
24	KASHIPI	296288	09/05/2014	10/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
25	HEMA CHOUHAN	296189	09/05/2014	10/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	663000	Received	69000	Received	64800	Pending
BATCH E												
26	ZAIRUL ABEEDIN ALI	305517	27/06/2014	28/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	663000	Received	69000	Pending	64800	Pending
27	ARSHAN SHEKH	306045	27/06/2014	28/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	663000	Received	69000	Pending	64800	Pending
28	SHUAIKA PATHONE	305919	27/06/2014	28/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	663000	Received	69000	Pending	64800	Pending
29	VARSHIKA PATEL	305920	27/06/2014	28/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	663000	Received	69000	Pending	64800	Pending
30	ARSHIK	306039	27/06/2014	28/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	663000	Received	69000	Pending	64800	Pending

47
30



सादर, सधन्यवाद ।

भवदीय


18.5.20
चिकित्सा अधीक्षक


दिनांक 09.11.2015

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, तुलसीनगर, भोपाल.
2. कलेक्टर, इंदौर.
3. संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र., इंदौर.

संलग्न - उपरोक्तानुसार (कुल पृष्ठ संख्या 14)


निदेशिका अधीक्षक





Sri Aurobindo Medical College & PG Institu.

SAIMS HOSPITAL

32

क्रमांक/सेम्स/2015/920

दिनांक : 07.11.2015

प्रति,
आयुक्त महोदय,
इंदौर संभाग
इंदौर (म.प्र.)

विषय : मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लान्ट का भुगतान श्री अरविंदो इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंदौर को किये जाने के संबंध में।

- संदर्भ :**
1. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निशक्ताजन कल्याण, म.प्र., भोपाल का आपकी संबोधित पत्र क्रमांक/निक./9/मु.मं.बा.श्र.यो./2015/1456 दिनांक 29.09.2015.
 2. उक्त पत्र के साथ संलग्न संस्था के समन्वयक का पत्र दिनांक 07.09.2015.
 3. संस्था का पत्र क्रमांक सेम्स/आउट डी.बी./कं 593 दिनांक 03.07.2015.

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा कीजिये।

निवेदन है कि, इस संस्था द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत श्रवणबाधित हितग्राहियों का कॉकलियर इम्प्लान्ट ऑपरेशन व उपचार किया गया था, उनके विरुद्ध उक्त संदर्भित पत्रों में वर्णित विवरण अनुसार राशि रु. 2,50,75,000/- शासन के पूर्ववर्ती आदेशों के अनुसार आपकी ओर से निर्देशानुसार संयुक्त संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, इंदौर द्वारा इस संस्था को भुगतान हो चुके हैं, और राशि रु. 1,15,77,800/- संस्था को प्राप्त होना शेष है।

इस संबंध में श्रीमान् को विशेष रूप से अवगत कराना है कि शासन ने दिनांक 01.10.2014 से उक्त योजना, स्वास्थ्य विभाग, म.प्र. को स्थानान्तरित की है। परन्तु संस्था को उक्त वर्णनानुसार शेष राशि रु. 1,15,77,800/- उन श्रवणबाधित हितग्राहियों के किये गये कॉकलियर इम्प्लान्ट ऑपरेशनों की है, जिनका ऑपरेशन 01.10.2014 के पूर्व किया गया है।

(4)

कार्यालय आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर

क्रमांक ४५१ / विज्ञापन / सामान्य / 2015
प्रति,

इन्दौर, दिनांक 07/03/2015

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाएँ,
म.प्र. भोपाल

3306
12-315

ANNEXURE-P/7

(34)

विषय :- श्रवण बाधित "Cochlear Implant" आपरेशन हेतु आवंटन के संबंध में ।

--- 000 ---

विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत श्रवण बाधित उपचार हेतु "Cochlear Implant" आपरेशन करने हेतु योजना बनायी गयी थी। कालांतर में उक्त योजना का हस्तांतरण स्वास्थ्य विभाग को कर दिया गया था। उपरोक्त योजना के अंतर्गत प्रति आपरेशन समस्त व्यय सम्मिलित करने हेतु लगभग 8 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी। उपरोक्त योजना के अंतर्गत इन्दौर एवं उज्जैन संभाग को 30 आपरेशन वर्तमान में किये जा चुके हैं, जिसमें से आपरेशन हेतु रु. 1,65,75,000/- राशि का व्यय सामाजिक न्याय विभाग एवं रु. 33,15,000/- का व्यय स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा चुका है। अद्यतन स्थिति में रुपये 1,03,46,000/- आज भी बकाया है, जिसके फलस्वरूप संबंधित चिकित्सालयों द्वारा अन्य आपरेशन नहीं करने की सूचना दी गयी है। एल्लेखनीय है कि आम नागरिकों इसकी जानकारी प्राप्त होने से लगभग 40 अवेदन प्राप्त हो चुके हैं। संवित है किंतु राशि आवंटन के अभाव में उपचार की कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री महोदयों के माध्यम से पत्र प्राप्त हो रहे हैं किंतु आवंटन के अभाव में आपरेशन नहीं हो पाने के संबंध में समुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 205-206 दिनांक 9.1.2015 एवं पत्र क्रमांक 1611 दिनांक 4.3.2015 द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल से राशि आवंटन की मांग की है, अतः कृपया की गयी मांग अनुसार राशि प्रदान कराने का कष्ट करें जिससे संबंधित आपरेशन कराये जा सकें।

(संजय दुबे)

आयुक्त,

इन्दौर सम्भाग, इन्दौर

क्रमांक ६५ / स.प्र.शासन / २०१०

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त,
इन्दौर संभाग, इन्दौर

35

सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश

(1250, तुलसीनगर, भोपाल-462003)

(Telephone- 0755-2556816, FAX-0755-2552865)

[E-mail address: dpswtpl@nic.in]

क्रमांक/निक./9/मु.बा.अ.यो./2015/1456

भोपाल दिनांक 29.09.2015

प्रति,

संभागीय आयुक्त,

इन्दौर संभाग इन्दौर।

विषय:-

मुख्य मंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लाण्ट के पश्चात् शेष राशि का भुगतान के संबंध में।

—0—

मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित एवं पात्र श्रवणबाधित हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लाण्ट हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-4/100/2013/2/संलग्न, दिनांक 11-2-2014 द्वारा अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर में कॉकलियर इम्प्लांटेशन ऑपरेशन एवं उपचार हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत 46 चिन्हांकित एवं पात्र श्रवणबाधित हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लाण्ट अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर के माध्यम से कराये गये है।

3- अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर को ₹ 2,50,75,000/- का भुगतान किया गया है, शेष राशि ₹ 1,15,77,800/- का भुगतान होना शेष है। सामान्यतः अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्तानुसार श्रवणबाधित हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लाण्ट दिसम्बर 2014 पूर्व के है। सामान्यतः अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर से प्राप्त पत्र दिनांक 7 दिसम्बर 2015 की छाया प्रति संलग्न है।

कृपया प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

[Signature]
आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं
निशक्तजन कल्याण, म.प्र.

पृ.क्रमांक/नि.क./१/मु.मं.बा.अ.यो./2015/1457

भोपाल दिनांक 29.09.2015

प्रतिलिपि:-

- 1- कलेक्टर जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[Signature]
अपर संचालक
वास्तो आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं
नि:शक्तजन कल्याण, म.प्र.

c.m. bel shruen letters

संजय दुबे

आयुक्त

इन्दौर संभाग, इन्दौर



दूरभाष कार्यालय : 0731-2435111

दूरभाष निवास : 0731-2700888

फैक्स : 0731-2539552

ई-मेल : commindore@nic.in

अ. शा. पत्र क्र. 239 विकास

दिनांक 4.12.15

ANNEXURE - P/9

विषय:- मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजनांतर्गत हितग्राहियों के काक्लेयर इंफ्लान्ट ऑपरेशन की शेष राशि के भुगतान के संबंध में।
संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 851 दि. 7.3.2015 एवं अ.शा.प.क.क्रमांक 207 दिनांक 29.10.2015 ।

Dear Pankaj,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। मेरे द्वारा पूर्व में संदर्भित पत्रों के माध्यम से अरविंदो अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में इंदौर एवं उज्जैन संभाग के श्रवणबाधित बच्चों के ऑपरेशन उपरान्त शासन द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप ऑपरेशन व्यय का भुगतान किये जाने हेतु बजट आवंटन के लिए अनुरोध किया गया था। लगभग एक वर्ष से अधिक की समयावधि के उपरान्त भी उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप अरविंदो अस्पताल द्वारा नवीन ऑपरेशनों को संचालित नहीं किया जा रहा है जिससे अनेक बच्चे उस आयु को पार कर रहे हैं जिसके बाद इनके ऑपरेशन कराये जाने पर भी उसकी उपयोगिता नहीं होगी। वर्तमान में अरविंदो अस्पताल इंदौर के अलावा संभाग में अन्य किसी अस्पताल में उपरोक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि इसके भुगतान के लिए संयुक्त संचालक स्वास्थ्य अथवा अन्य किसी प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

संलग्न:- संदर्भित पत्रों की छायाप्रतियां।

With warm regards,

भवदीय,

(संजय दुबे)

श्री एकज अग्रवाल,

आयुक्त,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
भोपाल।

पृ.क. 235/विकास-योजना/2015/

इंदौर, दि. 4.12.15

प्रतिलिपि:-

- 1- श्री आशीष उपाध्याय, सचिव, नगर शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त आवंटन शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर की ओर भेजकर निर्देश है कि प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक समन्वय/कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- संचालक, अरविंदो हास्पिटल, इंदौर की ओर सूचनार्थ। कृपया भविष्य में होने वाले नवीन ऑपरेशन संबंधी बच्चों की सूची उपलब्ध कराये।

आयुक्त,

इंदौर संभाग, इंदौर।



ANNEXURE - 9/10

कार्यालय, आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

भोली बंगला, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर-452007

दूरभाष : कार्या. - 0731-2435111, 2535222 (नि.) 2700888 फेक्स: 0731-2539552
email: commindore@nic.in / commindore@gmail.com

क्रमांक 341/8-6

इन्दौर, दिनांक 29/1/16

प्रति,

संयुक्त सचिव,
भारत शासन,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

विषय :- ADIP SCHEME के अन्तर्गत कॉकिलयर इम्प्लांट अपरेशन हेतु बच्चों की सूची।

इन्दौर व उज्जैन संभाग में DEAF & DUMB ऐसे बच्चे जिनकी आयु 06 साल या उससे कम है का परीक्षण स्थानीय स्तर पर राज्य शासन द्वारा अधिकृत श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इन्दौर में कराया गया है। दिगत वर्ष में राज्य शासन से राशि अप्राप्त रहने के फलस्वरूप केन्द्र शासन की ADIP की योजना के अन्तर्गत इन बच्चों का यथासंभव कॉकिलयर इम्प्लांट केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित नियमों व राशि के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। इन सभी बच्चों का प्रारंभिक परीक्षण कर इनको सजंरी हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतः केन्द्र शासन की योजना के अन्तर्गत उपरोक्त बच्चों की सजंरी की अनुमति देने का कष्ट करें, जिससे इन पर कार्यवाही की जा सके।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(संजय दुबे)

आयुक्त,
इन्दौर संभाग, इन्दौर

पृ0क्रमांक 342 / विकास / 15-16
प्रतिलिपि :-

इन्दौर, दिनांक 29/1/16

1. श्री ई0 रमेश कुमार, निज सचिव, भारतीय संघीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, क0न0 202-सी विंग, शास्त्री भवन, मेरू नगर 6 नई दिल्ली 110 और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आरुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शोधालय
3. आरुक्त सामाजिक न्याय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences
Statement showing the position of Balance Payment as on 25.01.2016

COCHLEAR IMPLANT PROJECT										1st INSTALLMENT	Payment Status	Mid INSTALLMENT After 6 months of Surgery	Payment Status	III rd INSTALLMENT After 2 years of Surgery	Payment Status
S.NO.	PATIENT NAME	IPD NO.	DOA	DOO	DOO	DOO	DOO	DOO	DOO	663000/-		69000/-		64800/-	
BATCH A															
1	PURVI MITTAL	285585	7/3/2014	9/3/2014	12/3/2014	12/3/2014	12/3/2014	12/3/2014	12/3/2014	663000	Received	69000	Received		
2	VARUN PANDYA	285584	7/3/2014	9/3/2014	12/3/2014	12/3/2014	12/3/2014	12/3/2014	12/3/2014	663000	Received	69000	Received		
BATCH B															
3	RITUL	290261	4/4/2014	5/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	663000	Received	69000	Received		
4	RAHVEER	290260	4/4/2014	5/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	663000	Received	69000	Received		
5	JATIN	290259	4/4/2014	5/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	7/4/2014	663000	Received	69000	Received		
BATCH C															
6	AJRA ABBASI	293914	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
7	ALISHA BEE	293897	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
8	GOURAV SONI	293918	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
9	RAJ PATEL	293893	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
10	ANUSH	293917	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
11	TANISHKA	293906	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
12	ROHAK	294058	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
13	ASHISH	293902	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
14	ISHIKA	293910	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
15	ATIF HUSSAIN	293903	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
16	SHRISHITI	293904	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
17	BHAVESH	293895	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
18	ROHAN AJRA	293899	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	663000	Received	69000	Received		
BATCH D															
19	PRINCE DHANAD	296295	9/5/2014	10/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	663000	Received	69000	Received		
20	DUGGU PANCHAL	296293	9/5/2014	10/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	663000	Received	69000	Received		
21	DIYANSHU	296294	9/5/2014	10/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	663000	Received	69000	Received		
22	GOURI DEVIANI	296296	9/5/2014	10/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	663000	Received	69000	Received		
23	ANMOL	296287	9/5/2014	10/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	663000	Received	69000	Received		
24	AKSHITA	296288	9/5/2014	10/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	663000	Received	69000	Received		
25	HEMA CHOUHAN	296289	9/5/2014	10/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	12/5/2014	663000	Received	69000	Received		

41

28

BATCH E									
26	ZAINUL ABEEDIN ALI	305917	27/06/2014	28/06/2014	27/7/2014	37/7/2014	663000	Received	
27	ARSHIAN SHEKH	306045	27/06/2014	28/06/2014	27/7/2014	37/7/2014	663000	Received	
28	BHUMIKA RATHORE	305919	27/06/2014	28/06/2014	5/7/2014	7/7/2014	663000	Received	
29	VAKSHIKA PATEL	305920	27/06/2014	28/06/2014	5/7/2014	7/7/2014	663000	Received	
30	ABHISHEK	306099	27/06/2014	28/06/2014	2/7/2014	3/7/2014	663000	Received	
BATCH F									
31	MOHAMMAD ZISHAN	319398	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014	663000	Received	
32	HARSH GEHLOO	319380	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014	663000	Received	
33	BHAVITA JAIN	319395	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014	663000	Received	
34	ARSHAD SHEKH	319377	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014	663000	Received	
35	MAHAVISH KAJI	319384	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014	663000	Received	
36	AKSH GUPTA	319409	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014	145000	Part Payment	
Part amount of Rs. 145000/- received of Patient Arsh Gupta, amount pending of Rs.									
BATCH G									
37	PARSHVI SHIREYA	319391	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014			
38	KRISHNA PATEL	319401	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014			
39	ARTAN	319403	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014			
40	CHANCHAL MEHRA	319407	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014			
41	NIKITA KHARSOOYA	319419	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014			
BATCH H									
42	KHUSHI SHARMA	325697	10/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014			
43	DIPALI	325692	10/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014			
44	PAVNI SHUKLA	326042	11/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014			
45	ARMANI JAIN	325695	10/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014			
46	HISABUDDIN	326030	11/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014			

1st Installment of S.N. 36 to 46 pending of Rs. 7148000/-

2nd Installment of S.N. 26 to 46 pending of Rs. 1449000/-

3rd Installment of S.N. 1 to 46 pending of Rs. 3045600/-

Payment Receiving details

26/04/2014 13,25,000/-

15/05/2014 19,89,000/-

04/07/2015 1,32,60,000/-

09/10/2015 50,00,000/-

30/03/2015 35,00,000/-

Total Bill Amount

36652800

Total Received Amount

25875000

Received on 28-01-2015

6880000

PENDING- In words Forty Seven Lacs Sixty Seven Thousand & Eight Hundred only

Dr. Shival Kohli
Dr. Shival Kohli

कान-नाक-गला विभाग
सेम्स मेडिकल कॉलेज
एन.पी.जी. इन्सुलियुट,
इन्दौर

6 Approved 46 Recipients 604

ANNEXURE - P/11

42

COCHLEAR IMPLANT PROJECT							1st INSTALLMENT
							663000
S.NO.	PATIENT NAME	IPD NO.	DOA	DOO	DOD	USD	
BATCH A							26/04/2014
1	PURVI MITTAL	285585	03-07-2014	03-09-2014	03-12-2014	03-12-2014	
2	VARUN PANDIYA	285584	03-07-2014	03-09-2014	03-12-2014	03-12-2014	
BATCH B							15/05/2014
3	RITUL	290261	04-04-2014	04-05-2014	04-07-2014	04-10-2014	
4	RANVEER	290260	04-04-2014	04-05-2014	04-07-2014	04-10-2014	
5	IATIN	290259	04-04-2014	04-05-2014	04-07-2014	04-10-2014	
BATCH C							07-04-2014
6	ADRA ABBASI	293914	26/04/2014	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	
7	ALPHA BEE	293897	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
8	GOURAV SONI	293916	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
9	RA PATEL	293893	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
10	AN JSH	293917	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
11	TAJSHIKA	293906	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
12	ROJNAK	294059	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
13	ASHISH	293902	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
14	ISHIKA	293910	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
15	ATIF HUSSAIN	293903	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
16	SHRISHTI	293904	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
17	BHAVESH	293895	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
18	ROF AN ALIPA	293899	26/04/2014	27/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	
BATCH D							07-04-2014
19	PRINCE BHAKAD	296295	05-09-2014	05-10-2014	05-12-2014	13/05/2014	
20	DUGGU PANGHAL	296293	05-09-2014	05-10-2014	05-12-2014	13/05/2014	
21	DIVYANSHU	296294	05-09-2014	05-10-2014	05-12-2014	13/05/2014	
22	GOURI DEVNANI	296296	05-09-2014	05-10-2014	05-12-2014	13/05/2014	
23	ANMOL	296287	05-09-2014	05-10-2014	05-12-2014	13/05/2014	
24	AKSHITA	296288	05-09-2014	05-10-2014	05-12-2014	13/05/2014	
25	HEMA CHOUHAN	296289	05-09-2014	05-10-2014	05-12-2014	13/05/2014	

BATCH E									
			27/06/2014	28/06/2014	07-02-2014	07-02-2014	07-02-2014	07-02-2014	01-09-2015
26	ZAINUL ABEDIN ALI	305917						07-08-2014	
27	ARSHLAN SHEKH	306045	27/06/2014	28/06/2014	07-02-2014	07-02-2014	07-02-2014	07-02-2014	
28	DIWANKA RATHORE	305919	27/06/2014	28/06/2014	07-02-2014	07-02-2014	07-02-2014	07-02-2014	
29	VANSHIKA PATEL	305920	27/06/2014	28/06/2014	07-02-2014	07-02-2014	07-02-2014	07-02-2014	
30	ABHISHEK	306039	27/06/2014	28/06/2014	07-02-2014	07-02-2014	07-02-2014	07-02-2014	
BATCH F									
			09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	
31	MOHAMMAD ZISHAN	319398	09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	
32	HARSH GENDOD	319380	09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	
33	BHAVYA JAIN	319395	09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	
34	ARSHAD SHEKH	319377	09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	
35	N. AHAVISH KAJI	319384	09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	
36	ARSH GUPTA	319409	09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	
37	PARSHVI SHIREYA	319391	09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	
38	KRISHNA PATEL	319401	09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	
39	ARYAN	319403	09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	
40	CHANCHAL MEHRA	319407	09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	
41	NIKITA KHARSODIYA	319419	09-06-2014	09-07-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-10-2014	PENDING
BATCH G									
			10-10-2014	10-12-2014	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	
42	KHUSHI SHARMA	325697	10-10-2014	10-12-2014	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	
43	DIPALI	325692	10-10-2014	10-12-2014	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	
44	PAVNI SHUKLA	326042	10-11-2014	10-12-2014	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	
45	ARHAM JAIN	325695	10-10-2014	10-12-2014	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	
46	RISAMUDDIN	326030	10-11-2014	10-12-2014	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	PENDING
JABALPUR									

26/04/2014 13,26,000/- 1st Ins. Of 2 pt.
 15/05/2014 19,89,000/- 1st Ins. Of 3 pt. (3 TO 5)
 04/07/2015 1,32,60,000/- 1st Ins. Of 20 pt. (6 TO 25)
 09/01/2015 50,00,000/- 1st Ins. Of 5 pt. (26 TO 30) and 11 nd Ins. Of 25 pt. (1 TO 25)

44
 50

बालिका को न्याय मिला, बाकी को कब मिलेगा बच्चे सुनना चाहते हैं पर बहरी बनी हुई है सरकार

» - संभाग के 500, प्रदेश के
7 हजार बच्चे इंतजार में

इंदौर। खंडवा की मूक-बधिर बालिका कालिका मुदा को तो सीएम ने न्याय दिला दिया, लेकिन अब भी संभाग में करीब 500 बच्चे और पूरे प्रदेश में करीब 7 हजार ऐसे बच्चे हैं, जो बालिका मुदा के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अकेले इंदौर में 500 बच्चों के आवेदन पेंडिंग हैं। संभाग इंतजार नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार ने पुराने बिल को खारिज कर दिया। बालिका मुदा के लिए मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना में मूक-बधिर बच्चों के ऑपरेशन के लिए सरकार 8 लाख तक की सहायता देती है। ऑपरेशन 5 से 7 साल की आयु के बच्चों को करना चाहिए। मगर योजना की बंदी में चली गई।



खंडवा। यहां के बड़ाबम क्षेत्र निवासी मूक-बधिर बालिका कालिका 'चेरी' (4) के इलाज के लिए जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के तहत 6.50 लाख की मदद के लिए आवेदन दिया गया था। खंडवा से आवेदन इंदौर पहुंचा तो डॉ. शरद पंडित ने उसे लौटा दिया। कहा गया-बजट नहीं है। पहले ही अरविंदो अस्पताल को एक करोड़ रुपए चुकाना है, इसलिए इलाज नहीं हो सकता। परिजन ने मुंबई में इलाज करवा लिया। मां स्वाति गुप्ता द्वारा मुख्य सचिव को आवेदन देने पर पंडित को सस्पेंड किया गया।

बालिका मुदा की कमी तो है

इंदौर। बालिका मुदा की कमी तो है, संभाग स्तर पर ही हल होते हैं। कुछ बच्चों के ऑपरेशन के बाद भी बालिका मुदा की कमी के कारण फिलहाल इसके ऑपरेशन पर - डॉ. एसएल धोखा, सीएमएचओ

100

100

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / लीगल / इन्दौर / 2016 / पंजी-24 / 448

भोपाल, दिनांक: / 5 / 3 / 2016

—:आदेश :—


सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) अधिनियम संख्या -5 के आदेश के सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन शक्तियों को प्रयोग में करते हुये अपर संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय, भोपाल को उच्च न्यायालय इंदौर में दायर विविध याचिका डब्ल्यू0 पी0 क्रमांक 1062/2016, पक्षकारी का नाम डॉ. शरद पंडित, इन्दौर विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में म.प्र. राज्य तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिकथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन करने उपस्थित होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र.विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य शर्तों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यूरो नीचे दिये है, निम्न लिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संदर्भ में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुचाने को संभालना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रिया पर विधि विभाग से परामर्श लिया गया था तो उस विभाग को राय भी रिपोर्ट में विनिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाए।
2. समस्त सुसंगत फाईल, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश आदि एकत्र करेगा।
3. वादपत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुचाने की सम्भावना है, ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता के संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनको प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों का प्रतियों जिसमें वाद सुनवाई की तारीख भी शामिल होनी चाहिए।

कमश: (2)

7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत करना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है जब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिए विभाग को भेजेंगे।
10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उनकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे हो उसके अपना स्थानांतरित आदेश प्राप्त होता है यह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंपे देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
12. प्रभारी अधिकारी, मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर समय सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य को दस्तावेज अप्रति/छुपी हुई ना रह जाये।
13. प्रभारी अधिकारी कार्यदि लोग अभियोजन मुकदर है तो जैसे ही वाद का विनिश्चय होता,परिवत्र की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकदर है तो यह बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के कम में पारित किए गए किसी अतिरिम आदेश का पुनरीक्षण अप्रेषित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतः एवं वह इस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किए जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय) विभाग को प्रेषित करे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार



कृते / सचिव

मध्य प्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक: 4 / लीगल / इंदौर / 2016 / पंजी-24 / 449 भोपाल, दिनांक : / 5 / 63 / 2016

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर (म.प्र.)
2. सम्भागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर सम्भाग इन्दौर म0प्र0 ।
3. प्रभारी अधिकारी- अपर संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय की और शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने, उपस्थिति प्रकरण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेट पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले के प्रगति की प्रति विभाग के साथ साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजने चाहिए। आवेदन प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। उक्त न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. 1062 / 2016 मामले की सुनवाई दिनांक 11.04.2016 को उच्च न्यायालय इंदौर, में नियत है।


कृते / सचिव

 मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

5

1